


भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
बागपत -250609 (उत्तर प्रदेश)



Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
C.C.S. National Institute of Animal Health
Baghpat-250609, Uttar Pradesh

Central Drug Laboratory (Veterinary Biologicals)
Approved by Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
E-mail: ccs.niah@gov.in; Website: http://www.ccsniah.gov.in
An ISO 9001:2015 certified organization



फाईल: 1/19/2018-19/सीसीएसएनआईएच
दिनांक - 29.10.2022/

2579

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत कार्यालय में दिनांक 31/10/2022 को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय के नकारा/Scrap items सामान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, नीलामी में बेचे जाने वाले सामान का विवरण निम्न प्रकार है:

| क्रम संख्या | विवरण | मात्रा (लगभग) |
|-------------|---|----------------|
| 1 | गत्ते ईत्यादि | 80 kg approx. |
| 2 | Tin items, ईत्यादि | 250 kg approx. |
| 3 | Broken plastic tanks (Black plastic) and other plastic items, ईत्यादि | 200 kg approx. |
| 4 | Iron waste, ईत्यादि | 200 kg approx. |

नीलामी की बोली में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को बोली लगाने से पूर्व रूपये 7500/- धरोहर राशि जमा करना होगा। नीलामी के पश्चात सफल बोलीदाता को छोड़ कर शेष व्यक्तियों को धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

उपरोक्त वर्णित सामान की नीलामी के बाबत नियम, तथा अन्य जानकारी चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत कार्यालय से दिनांक 29/10/2022 से 30/10/2022 के प्रातः 11.00 बजे से 04:00 बजे एवं दिनांक 31/10/2022 के प्रातः 08.00 बजे से 11:00 बजे तक अपना फोटो लगा, पहचान पत्र (स्व प्रमाणित आधार कार्ड/वोटर कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स आदि) दिखाकर प्राप्त की जा सकती है।

बोली छूटने के बाद सफल बोलीदाता को समस्त राशि का भुगतान तुरन्त करना होगा जिसके पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जायेगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

निदेशक चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत को बिना कारण बताए बोली निरस्त करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

अश्विनी
29/10/22
(डा.अश्विनी कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक

नीलामी की शर्तें

- 1- इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नीलामी में बेचे जाने वाले सामान का निरीक्षण कार्यालय परिसर में दिनांक 29/10/2022 से 30/10/2022 के प्रातः 11.00 बजे से 04:00 बजे एवं दिनांक 31/10/2022 के प्रातः 08.00 बजे से 11:00 बजे के बीच अपना फोटो लगा पहचान पत्र (स्व प्रमाणित आधार कार्ड/वोटर कार्ड /ड्रिविंगलाईसेन्स आदि) दिखा कर किया जा सकता है। साथ में अपने पता का पहचान पत्र भी देना होगा।
- 2- नीलामी में जाने वाले सामान 'जहां है जैसा' के आधार पर है की नीलामी की जाएगी।
- 3- नीलामी में भाग लेने के लिए सभी व्यक्तियों का Covid-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- 3- नीलामी में भाग लेने के लिए रू. 7500 /- नगद जमा करवाना अनिवार्य है बिना अमानत राशि जमा करवाए नीलामी में कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे।
- 4- जिस व्यक्ति/फर्म की बोली अधिक होगी उस व्यक्ति/फर्म के नाम से बोली छोड़ी जाएगी।
- 5- नीलामी में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य सस्थान बागपत का कोई कर्मचारी भाग नहीं ले सकता है।
- 6- बोली छुटने के बाद बोली दाता को किसी प्रकार की कोई आपत्ती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 7- सफल बोली दाता जिस के नाम बोली छूटेगी, उस व्यक्ति को कुल बोली की 100 प्रतिशत राशि तुरन्त कार्यालय को जमा करवानी होगी व नीलामी का सामान 24 घन्टे के भीतर संस्थान परिसर से हटाना होगा। अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 8- अवकाश/शनिवार तथा रविवार को किसी भी परिस्थिति में नीलामी में बेचे गए सामान को कार्यालय परिसर से ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- 9- उपरोक्त पर बिक्री कर/जी.एस.टी./सरचार्ज अन्य कर इत्यादि देय होगा जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व सफल बोलीदाता को होगा।
- 10- असफल बोली दाता की जमा अमानत राशि बोली समाप्त होने के बाद वापस लौटा दी जाएगी, सफल बोलीदाता द्वारा अमानत की जमा राशि कुल देय राशि से घट कर जमा करना होगा।
- 12- किसी भी विवाद के लिए समस्त न्यायिक क्षेत्र बागपत ही होगा।

31 शिवनी
29/10/22